न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी— श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई०ए०एस)

प्रकरण संख्या 14/2025

बउनवान

1. करमचंद आयु 57 वर्ष पुत्र श्री भंवरलाल
2. धनराज आयु 57 वर्ष पुत्र श्री भंवरलाल जातिगण मीणा निवासीगण पलसावा तह० अंता जिला बारां

अपीलांटगण

बनाम

रामगोप पुत्र रामनारायण जाति गुर्जर निवासी पलसावा तहसील अंता जिला बारां राजस्थान

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर0टी0एक्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 27—11—2024 अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार अंता प्रकरण संख्या 4/2023 करमचंद बनाम रामगोप कार्यवाही अन्तर्गत धारा 183 बी आर.टी.एक्ट

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

उपस्थिति :— 1. श्री ओम प्रकाश मेहता—II अभिभाषक (अपीलांटगण)
2. श्री बृजराज किशोर शर्मा अभिभाषक (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 27.08.2025

अपीलान्ट की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्यो का ठीक प्रकार से विवेचन नही किया मनमाना व विधि विरुद्ध निर्णय दिनांक 27—11—2024 पारित किया गया है जो खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11—10—2023 से अप्रार्थी/रेस्पो० की तामील होने पर जवाब के लिये पत्रावली नियत की गई थी जिसमे कई अवसर दिये जाने के बाद दिनांक 22—11—2024 को हल्का पटवारी से प्राप्त रिपोर्ट होने पर जवाब हेतु 27—11—2024 तारीख पेशी नियत की गई तथा दिनांक 27—11—2024 को अप्रार्थी की ओर से कोई जवाब पेश नही किया गया उसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण की कोई साक्ष्य नही ली गई न प्रार्थीगण/ अपीलांटगण को सुना गया केवल मात्र यह लिखकर कि पत्रावली व वादपत्र का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी वगैरा द्वारा उक्त भूमि के सम्बन्ध दावा सम्मानीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश महोदय अंता के यहां प्रस्तुत किया गया था जो दिनांक 5—5—2010 को निर्णित कर खारिज किया गया जिसकी अपील अप्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश बारां में की गई अपील का निर्णय दिनांक 11—10—2011 में किया जाकर सुनवाई करने के लिये माननीय सिविल न्यायाधीश महोदय अंता को भिजवाया गया। माननीय [illegible] न्यायाधीश महोदय अंता द्वारा उक्त पत्रावली को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज [illegible] है [illegible] ही हल्का पटवारी रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि पर मकान [illegible] हुये है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183बी कृषि प्रयोजनार्थ भूमि पर लागू होती है पत्रावली को माननीय [illegible]ल न्यायालय मे श्रवण किया जा चुका है एवं अपील मात्र अदम हाजरी व अदम पैरवी में ही खारिज हुई है

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.10.01 12:40:15 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारॉं (राज०)

उक्त भूमि कृषि है या आवासीय है इसका निश्चय भी माननीय सिविल न्यायाधीश द्वारा किया जाना अवशेष है यह कहकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण खारिज फरमा दिया गया जबकि उक्त आराजी वर्तमान में कृषि भूमि है इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण का गलत रूप से निस्तारण किया गया है इसलिये अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश 27–11–2024 विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तो के विपरीत होने के कारण काबिले निरस्त है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अप्रार्थी / रेस्पो० का जवाब प्राप्त किये व अपीलाटगण/प्रार्थीगण की कोई साक्ष्य लिये बिना ही राजनैतिक दबाव में आकर उक्त निर्णय दिनांक 27–11–2024 पारित किया गया है जबकि विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि अनु. जनजाति की आराजी पर भिन्न जाति का व्यक्ति काबिज होता है तो ऐसी स्थिति मे उसे अन्तर्गत धारा 183 बी के तहत बेदखल किये जाने के प्रावधान है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मनमाना व विधि विरुद्ध निर्णय दिनांक 27–11–2024 पारित किया गया है जो खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांटगण स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार अंता का निर्णय दिनांक 27–11–2024 प्रकरण संख्या 4 / 2023 बउनवान करमचंद बनाम रामगोप निरस्त फरमाया जाकर रेस्पो० को बेदखल कर कब्जा अपीलांटगण को दिलाये जाने के आदेश फरमावें।

जिला कलेक्टर बारां (राज०) न्यायालय

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोडेन्ट जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुआ। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे ना तो जवाब लिया ना ही उभयपक्ष की साक्ष्य ली गई। ना ही अपीलांटगण को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सुना गया। आबादी भूमि पर धारा 183 बी आर.टी.ए. के प्रावधान लागू नहीं होना अंकित करते हुए अपीलांटगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। माननीय सिविल न्यायालय के जिस प्रकरण का अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अंकन किया है वो तो प्रकरण ही अलग है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि अनु. जनजाति की आराजी पर भिन्न जाति का व्यक्ति काबिज होता है तो ऐसी स्थिति मे उसे अन्तर्गत धारा 183 बी के तहत बेदखल किये जाने के प्रावधान है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मनमाना व विधि विरुद्ध निर्णय दिनांक 27–11–2024 पारित किया गया है जो खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांटगण स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार अंता का निर्णय दिनांक 27–11–2024 प्रकरण संख्या 4 / 2023 बउनवान करमचंद बनाम रामगोप निरस्त फरमाया जाकर रेस्पो० को बेदखल कर कब्जा अपीलांटगण को दिलाये जाने के आदेश फरमावें।

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पो0 ने कथन किया कि उक्त आराजी से संबंधित वाद अप्रार्थी द्वारा न्यायालय माननी[illegible], अन्ता में पेश किया जो निर्णय दिनांक 05.05.2010 से निर्णित कर खारिज [illegible] जिसकी अपील अप्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय अपर जिल एवं सेशन [illegible] महोद[illegible] में की गई जो निर्णय दिनांक 11.10.2011 से सुनवाई के लिए मान[illegible], अन्ता को पुनः भिजवाया गया। माननीय सिविल न्यायाधीश महोदय, अन्ता द्वारा [illegible] वाद को अदम हाजरी अदम पैरवी में

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.10.01 12:40:15 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

खारिज किया गया। विवादित भूमि आबादी क्षेत्र की है जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अतः अपीलांट्स की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जमाबंदी संवत 2073–76 से स्पष्ट है कि वाके ग्राम पलसावा की विवादित आराजी खसरा नंबर 529 रकबा 0.80 है. अपीलांटगण की खातेदारी में दर्ज है। तथा अपीलांटगण अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्य की खातेदारी की भूमि पर अन्य किसी भी व्यक्ति का अवैध कब्जा होने से अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर0 टी0 एक्ट कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित भूमि आबादी क्षेत्र की होना अपीलाधीन आदेश में अंकित किया है। किन्तु पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 30.05.2024 अनुसार ''ग्राम पलसावा में प्रार्थी करमचंद वगैरह की भूमि खसरा नंबर 529 रकबा 0.80 है. आबादी के समीप है भूमि के कुछ हिस्से पर मकान बनना प्रतीत होता है।'' परंतु पटवारी हल्का की रिपोर्ट में यह कहीं भी अंकित नहीं है कि भूमि आबादी क्षेत्र की है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांटगण स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलांट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने से आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.11.2024 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अन्ता को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य पूर्ण की जाकर गुणावगुण के आधार पर प्रकरण में विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 27.08.2025 को सरे इजलास लिखाया जाकर, सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलेक्टर बारां

जिला कलेक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.10.01 12:40:15 IST
Reason: SelfAttested